न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 24/2026

श्री विपुल बैरागी निवासी म.न.5 चिन्तांपरा नियर अंकित किराणा स्टोर के पास देवली तहसील देवली जिला टोंक पिन 304001 ——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 29.04.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 06.02.2026 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

1. सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ष 1987 से पूर्व कार्टर नंबर 50, बंगाली कॉलोनी का मूल आवंटित स्वामी (Original Allottee/Owner) कौन था? उक्त व्यक्ति कब से कब तक रिकॉर्ड में मालिक रहा?

2. प्रशासन के पास उक्त संपत्ति के मालिकाना हक से संबंधित कौन-कौन से मूल दस्तावेज (जैसे आवंटन पत्र, कब्ज़ा पत्र या RE-1 Form) उपलब्ध हैं? उनकी प्रमाणित प्रतियां प्रदान करें।

3. क्या प्रशासन नगरपालिका के रिकॉर्ड के अनुसार स्व. श्री महादेव बैरागी कार्टर नंबर 50 के अधिकृत आवंटित स्वामी थे? कृपया पुष्टि करें।

4. क्या बंगाली कॉलोनी, देवली का "मास्टर अलॉटमेंट रजिस्टर" (Master Allotment Register) वर्तमान में जिला प्रशासन या नगरपालिका के पास सुरक्षित है? यदि रिकॉर्ड आपके कार्यालय में नहीं है. तो RTI अधिनियम की धारा 6(3) के तहत इसे संबंधित विभाग को स्थानांतरित करें और उस विभाग का नाम, पूर्ण पता एवं संपर्क नंबर मुझे सूचित करें।

5. बंगाली कॉलोनी, देवली का वर्ष 1976 का अधिकृत नक्शा (Map) प्रदान करें, जिसमें कार्टर नंबर 50 की स्थिति, चौहद्दी (Boundarie), सड़क की लंबाई-चौड़ाई और पार्क का स्थान स्पष्ट रूप से अंकित हो। विशेषकर यह जानकारी दें कि क्या कार्टर 50 तीन तरफ से सड़क (3) sides open road) से घिरा था। यदि हाँ, तो उन सड़कों की माप (Length/Width) क्या थी?

6. यदि नगरपालिका के रिकॉर्ड में स्व श्री महादेव बैरागी का मूल आवंटन पत्र (Allotment Leter) उपलब्ध नहीं है. तो विभाग द्वारा "डुप्लीकेट अलॉटमेंट लेटर जारी करने की आधिकारिक प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) क्या है? इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची प्रदान करें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 418 दिनांक 09.03.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु

825

जिला कलेक्टर
टोंक

तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 124 दिनांक 24.03.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली से होने से उनके पत्र कमांक 120 दिनांक 10.02.2026 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 121 दिनांक 10.02.2026 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली को पत्र कमांक 600 दिनांक 25.03.2026 व 723 दिनांक 09.04.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली ने पत्र कमांक 543 दिनांक 09.04.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली से होने से उनके पत्र कमांक 399 दिनांक 09.03.2026 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 400 दिनांक 09.03. 2026 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली को पत्र कमांक 811 दिनांक 21.04.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(टीना डाबी)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक